



# उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

## Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.uk.gov.in

पत्रांक :- ५४४१ अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/उ०शि०/IIIB

दिनांक : 24/10/2025

### अनापत्ति प्रमाण-पत्र

एतद्वारा, श्रीमती पारूल कुमार, सहायक अभियन्ता, (Employee Code : UA00010660) उत्तराखण्ड पावर प्रशिक्षण संस्थान, बहादुराबाद, हरिद्वार को Indian Institute of Technology, Roorkee, Uttarakhand के Department of Management Studies से 1<sup>st</sup> Year Part Time PhD (वर्ष 2025-26) में प्रवेश लेने एवं अध्ययन हेतु अधोवर्णित प्रतिबन्धों के अधीन कार्यालयेत्तर अध्ययनार्थ एवं तत्सम्बन्धी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अग्रलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है :-

- (क) उपर्युक्त अनुमति केवल उसी दशा में प्रदान की जा रही है कि प्रश्नगत अनुमति/अध्ययन से परिषद् के कार्य सम्पादन में किसी प्रकार का ह्रास उत्पन्न न हो तथा अधिकारी/कर्मचारी की कार्यक्षमता में न तो किसी प्रकार की शिथिलता उत्पन्न हो और न वह अपने कर्तव्य पालन की उपेक्षा ही करें।
- (ख) यदि अनुमति प्रदान करने के उपरान्त ऐसा भासित हो कि जिस अधिकारी/कर्मचारी को उक्त अनुमति प्रदान की गयी है उसके कार्य में शिथिलता आ गयी या कार्य सम्पादन में ह्रास उत्पन्न हो गया है अथवा उक्त अनुमति देना कारपोरेशन के हित में नहीं है तो प्रदान की गयी अनुमति को कारपोरेशन द्वारा किसी भी समय बिना कोई पूर्व सूचना के तत्काल निरस्त कर दी जायेगी।
- (ग) उपर्युक्त अनुज्ञा प्राप्त होने के फलस्वरूप कोई भी अधिकारी/कर्मचारी मात्र इस आधार पर अपने अवकाश/तैनाती अथवा स्थानान्तरण सम्बन्ध में किसी प्रकार की विशेष सुविधा प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं हो जायेगा।
- (घ) उपर्युक्त अनुमति से सम्बन्धित परीक्षा की तैयारी के लिये अधिकारी/कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश समान्यतः परिषदीय/कारपोरेशन एवं लोकहित को दृष्टिगत करते हुये ही अनुमन्य होगा।
- (ङ) किसी बहुवर्षीय पाठ्यक्रम/अध्ययन के लिये प्रतिवर्ष नवीन अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (च) उन्नत, उच्चस्तरीय अथवा विशिष्ट अध्ययन एवं तकनीकी विषयों के सम्बन्ध में भी उपरिवर्णित प्रतिबन्धों के अधीन ही अनुमति प्रदान की जायेगी।
- (छ) सम्बन्धित कार्मिक का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित पाठ्यक्रम/डिग्री/संस्थान इत्यादि, सम्बन्धित नियमों/प्राविधानों के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है, अन्यथा की स्थिति में प्रदत्त विभागीय अनुमति को स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- (ज) अध्ययनार्थ अनुमति प्रदान किये जाने का आशय यह नहीं है कि यदि सम्बन्धित सेवक प्रश्नगत परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो परिषद्/कारपोरेशन उस सेवक को सेवा में उसका लाभ देने के लिये बाध्य होंगे।
- (झ) सम्बन्धित अध्ययन पर होने वाला व्यय उनके द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

अधिशाली निदेशक(मा०सं०)

पत्रांक :- ५४४१ अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/उ०शि०/IIIB तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उपमहाप्रबन्धक(मा०सं०)- I, उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. अधिशाली अभियन्ता (सू०प्रौ०), उपाकालि, वि०सी०वी० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित कराये जाने हेतु प्रेषित।
3. सम्बन्धित कार्मिक/वै०पत्रा०/कट फाईल।

(सुमित सिंघल)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी(मा०सं०)